न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/161 दायरा दिनांक : 19.08.2022

उनवान

द्वारकालाल पुत्र लाला जी, जाति मीना, निवासी ग्राम भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी म0 नं. 36 महात्मा गांधी कॉलोनी, गली नं0 8 माला फाटक, कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– छोटूलाल पुत्र प्रभूलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति मीणा, निवासी भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
2– रामगोपाल पुत्र लाला, जाति मीणा, निवासी भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
3– रघुनाथ पुत्र लाला, जाति मीणा, निवासी भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
4– प्रबन्धक, हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/162 दायरा दिनांक : 19.08.2022

उनवान

द्वारकालाल पुत्र लाला जी, जाति मीना, निवासी ग्राम भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी म0 नं. 36 महात्मा गांधी कॉलोनी, गली नं0 8 माला फाटक, कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– छोटूलाल पुत्र प्रभूलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति मीणा, निवासी भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
2– रामगोपाल पुत्र लाला, जाति मीणा, निवासी भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
3– रघुनाथ पुत्र लाला, जाति मीणा, निवासी भतवासी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
4– प्रबन्धक, हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महावीर मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चरण सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 20.06.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 621/दावा/2014 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 व प्रकरण संख्या – 642/दावा/2014 अंतिम डिकी दिनांक 27.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खतौनी संख्या नई 143 पुरानी 126 खसरा नं. 74 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 106/643 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम गाडरवाडा नूरजी, तहसील खानपुर वादी एवं प्रतिवादीगण रामागोपाल, रघुनाथ, द्वारकालाल के शामलाती खाते कब्जे व काश्त की है। इसमें वादी का हिस्सा 1/4 है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 से वादी का वाद प्राथमिक डिक्री कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु नायब तहसीलदार सारोलाकला को निर्देशित किया तथा अंतिम डिक्री दिनांक 27.05.2016 से तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर ग्राम गाडरवाडानूरजी की खतौनी सं. 145 की 2 किता की 29.03 बीघा में से वादी के 1/4 हिस्से का विभाजन किया जाकर पृथक खाता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

दोनों अपीलों में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट अवैध एवं गैर कानूनी रूप से केम्प कोर्ट में प्राथमिक डिक्री फरमाकर विभाजन प्रस्ताव तलब करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलांट वाद वर्णित आराजी का सहखातेदार है तथा उक्त वाद में बतौर प्रतिवादी सं. 3 पक्षकार बनाया गया था। उक्त वाद प्रतिवादी सं. 3 की तलबी में वादी पक्ष की ओर से तलबाना पेश करने हेतु आदेशिका दिनांक 02.09.2014, 02.12.2014, 31.03.2015 में नियत थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलांट को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किये गये और ना ही प्रतिवादी अपीलांट की कोई तामील हुई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को तलब किये बिना ही उसे सुनवाई व जवाबदेही व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही केम्प कोर्ट में अपीलांट की अनुपस्थिति में ही डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान टेनेन्सी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही अवैध एवं गैर कानूनी निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट प्रतिवादी अपीलांट को सूचना दिये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से मौके व कब्जे की स्थिति के विपरीत मनमाने तौर पर मौके व कब्जे की स्थिति के विपरीत जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई थी तथा उक्त रिपोर्ट मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था प्रतिवादी अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 27.05.2016 निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त वाद में अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान कर मुकदमें का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.07.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.09.2014, 02.12.2014, 31.03.2015 के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली प्रतिवादी सं. 3 की तलबी में नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रकरण का लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया जबकि हमें सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन का प्रस्ताव बनाते समय अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही अपीलांट की उपस्थिति में रिपोर्ट बनायी गयी है। कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी की है और तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री विधि सम्मत् रूप से जारी की है। दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट प्रतिवादी सं. 3 की तलबी में पत्रावली नियत थी। प्रतिवादी नं. 3 का तलबाना पेश नहीं किया गया था। पत्रावली को लोक अदालत में नियत कर बगैर समुचित तामील के निर्णय का दिया गया। हमारी राय में लोक अदालत में आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय करना त्रुटिपूर्ण होने से अपील स्वीकार करना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2022/161 एवं 2022/162 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 27.05.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा